

फर्द अहकाम

लालित वनाम जिले

न्यायालय

संख्या 110/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	22/5/24	<p>वकील नामी ने प्रारम्भिक दस्तावेज धारा 111, 128 का पेश किया रिपोर्ट सविस्तर गालब है सुनी है फावली एड 2 सविस्तर है गालबी दायरगी का जारी रखे नो बिल जारी होकर फावली रिपोर्ट 24/5/24 को पेश की</p> <p>उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)</p>	<p>गोपिन जादी 2818-22 22/5/24</p>
	24/5/24	<p>पञ्जाबी पेश हुई वकील गार्दी उद्यम अर्थात् गण की ओर से की दिमांशुकीक एड ने पकामत का पेश किया आदि अर्थात् वकील ने कहा कि सीमावाट रिपोर्ट अनुसार पञ्जाबी की पानी है तो कोई आपत्ति नहीं है उपपत्र उक्त पत्र की कलर सुनी गयी अर्थात् उपपत्र 111, 128 MR Act 1956 स्वीकार किया गया है विलुप्त निर्णय प्रत्येक क्रि (अ) पकामत सुनाया गया पञ्जाबी का ड लकामत दायित्व पकामत है सुनाया गया</p> <p>उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)</p>	<p>सीमावाट रिपोर्ट अनुसार पञ्जाबी की पानी है तो कोई आपत्ति नहीं है</p> <p>24/5/24</p>

